Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. IX, Issue No. XVII, January-2015, ISSN 2230-7540

सहकारिता आन्दोलन के सिद्धान्त व विवेचना

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. IX, Issue No. XVII, January-2015, ISSN 2230-7540

सहकारिता आन्दोलन के सिद्धान्त व विवेचना

Shakil Ahmad*

Department of Economics, New Colony, Khetari Muhalla, Arrah, Bihar

सार – *सहकारी संगठन जिस अवधारणा या कार्य क्षेत्र को ग्रहण करते हैं, तो कार्यविधि, प्रक्रिया या उद्देश्य हेतु इन समितियों को कुछ सिद्धान्तों के अनुसार प्रगति करना होता है, ये सिद्धान्त ही सहकारिता की आधारशिला होते हैं। इन सिद्धान्तों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये सिद्धान्त ही संस्था, संगठन, समिति में सहकारिता के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं।[1] काल्वर्ट का कथन था कि "सहकारिता स्वेच्छा पर आधारित संगठन है, जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर परस्पर सहयोग एवं प्रयास कर अपनी आर्थिक उन्नति करता है। इस प्रकार सहकारिता द्वारा प्रत्येक वर्ग का (उच्च, मध्यम, निम्न) नैतिक चारित्रिक एवं आर्थिक रूप से उत्थान होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की छल व बेइमानी व्यक्ति के साथ-साथ संस्था को भी पतन की दिशा में ले जाती है। सहकारिता में समानता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का अत्यधिक महत्व होता है। विभिन्न कार्यक्षेत्रों एवं विषय उद्देश्यों के अनुसार सहकारिता के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न एवं परिवर्तनीय होते हैं। यद्यपि सहकारी सिद्धान्तों को विश्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त है, परन्तु ये सिद्धान्त कठोर न होकर लचीले हैं, तथा इनमें परिवर्तन होते रहे हैं।*

----------X----------

प्रस्तावना

शाब्दिक रूप से सहकारिता का अर्थ एक साथ कार्य करना व विचार करना है, जिसमें परस्पर विकास की भावना निहित है परन्तु सहकारिता के व्यापक अर्थ में सम्पूर्ण जीव जगत का अस्तित्व विद्यमान है। क्योंकि किसी भी जीव में सामूहिकता की भावना विद्यमान होती है, जो उसे परिस्थिति दर परिस्थिति जीवन यापन में सहयोग प्रदान करती है। आदिमानव काल से आज तक मानव समाज की निरन्तरित कार्यो में सहकारिता ही एक ऐसा अर्थपूर्ण सिद्धान्त है जिसके कारण मानव सभी स्थितियों में समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर सका। पशुगत में भी पशुओं का अस्तित्व सहकारिता के स्वाभाविक सहयोग के कारण है। समाज में समन्वय, स्थापित कर सहकारिता लाने का महत्वपूर्ण कारक अहिंसा है। अतः महात्मा गाँधी के कथनानुसार ऐसा समाज जो विकेन्द्रीकरण और अहिंसा पर आधारित हो सहकारी समाज ही हो सकता है क्योंकि सहकारिता के माध्यम से व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं महत्व को बिना खोये तथा आर्थिक शोषण के बगैर सम्पूर्ण उन्नति कर सकता है और यह ही समानता तथा सहकारिता पर आधारित आर्थिक, प्रजातांत्रिक समाज का उद्देश्य है।''[1]

भारत प्राचीनकाल से सहकारिता पर आधारित "वसुधैव कुटुम्बकम" अथवा विश्व बन्धुत्व का पोषक रहा है। भारत के सम्पूर्ण नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र के मूल में सहकारिता ही दृष्टिगोचर होती है। भारत के सहकारिता के सिद्धान्त पर आज का मानव समाज अपनी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व आर्थिक प्रक्रियाओं को समन्वित करना चाहता है जिसके हिमायतीं पाश्चात्य विद्वान भी हैं।[2] अगर विज्ञान पर विचार किया जाये तो यह पूर्णतया सत्य है, कि मानव विकास में स्पर्धामय, संघर्षमय जीवन ने अगर जीवन को जीवित रहने की प्रक्रिया सिखायी है, तो इसे समन्वित व सामंजस्य कर विकास में परिवर्तित करने की क्रिया सहकारिता ने की है।

ऐस्ले मान्टेग का सहकारिता पर कथन है कि "सहकारिता के सिद्धान्तों पर समाज परस्पर सहयोग के द्वारा मानव में ऐसी क्रियाशीलता व गतिविधि उत्पन्न करता है कि जीवन संगठन, सुधार की तरफ प्रेरित होने लगता है। जो व्यक्ति विक्षोष के साथ-साथ सम्पूर्ण मानव समाज की उन्नति का कारण बन जाता है।'' विभिन्न विद्वानों द्वारा दिये गये कथनों व वाक्यों से स्पष्ट है कि सहकारिता न केवल भौतिक, गतिविधियों को सकारात्मक बनाती है, बल्कि मनोविज्ञान, दर्शन पर भी बल देकर जीव जगत की प्रगति का कारण बनती है। इस प्रकार सहकारिता मात्र सहकारिता आन्दोलन तक सीमित नहीं है। सहकारिता स्वेच्छा पर आधारित विकासात्मक संगठन है। यह संगठन निःस्वास्थ भाव से निर्मित किया जाता है। जिसका कारण, "स्व सहायता परस्पर अन्योन्याश्रित सहायता है।''

www.ignited.in

सहकारिता को मुख्यतः आर्थिक प्रक्रियाओं से संयोजित किया जाता है, अतः सहकारी संगठनों के सदस्य परस्पर व स्वयं को आर्थिक तौर पर उच्च बनाने हेतु कार्य एवं प्रयास करते है। इसकी प्रक्रिया प्रजातांत्रिक होती है, अर्थात प्रतिनिधियों का चयन सदस्यों द्वारा होता है। सम्मिलित शक्ति का भाव सहकारिता में प्रधान सिद्धान्त है, सदस्य संगठन को सक्रिय करते हैं तथा इस प्रक्रिया के द्वारा जो लाभ होता है, वह कार्य व प्रयास के अनुसार परस्पर बांट लेते हैं। इस प्रकार सहकारिता में निम्न 4 कारक अवश्य विद्यमान होते हैं।

1) समानता,

2) प्रजातांत्रिक प्रक्रिया,

3) स्वसहायता परस्पर सहायता द्वारा,

4) सम्मिलित हित।

सहकारिता की परिभाषा:

एक की अपेक्षा में दो श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा कार्य करने व समाप्त करने में सुविधा रहेगी तथा श्रम मूल्य भी श्रेष्ठ मिलेगा। यदि एक का पतन होता है, तो सदस्यों में एक अपने साथी को सुरक्षित कर लेगा। परन्तु अकेले होने पर असहाय होगा। इस कार्य में सहकारिता के नैतिक चरित्र का महत्व अधिक है जो सभी सहकारी संगठनों या किसी भी संगठन का मूलभूत आधार बनता है।[7] शाब्दिक रूप से सहकारिता का अर्थ एक साथ कार्य करना है परन्तु इस कार्य को आर्थिक प्रक्रियाओं से अधिक संयोजित किया जाता है। जिसका व्यापक अर्थ किसी आर्थिक संस्थान के कार्यकत्र्ताओं के द्वारा सुनियोजित प्रकार से विविध क्रियाकलापों को समान उद्देश्य हेतु परिणाम देना है। परिणामस्वरूप सदस्यों की विशेषताओं तथा गुणों का संसाधित प्रकार से उपयोग संस्थान व सदस्यों के परस्पर पूरक विविध सुनियोजित लाभ हेतु किया जा सके।

सहकारिता के मूल उद्देश्य व सिद्धान्त निम्न प्रकार से हैं-

1. सहकारिता द्वारा संस्था, संगठन के सदस्यों एवं समाज के मध्य सामंजस्य बनाकर समाज व सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिये।

2. सहकारिता का लक्ष्य येन-केन-प्रकारेण अधिकाधिक लाभार्जन करना नहीं होना चाहिये। अपितु अधिकाधिक व्यक्तियों को आर्थिक लाभ पहुँचाना होना चाहिये।

3. सामाजिक क्षेत्र में सहकारिता का उद्देश्य चारित्रिक नैतिक उत्थान होना चाहिये। सहकारिता व्यक्तित्व विकास पर भी बल देती है, क्योंकि परस्पर सहयोग सकारात्मक भाव उत्पन्न करते हैं, तथा यही व्यक्तित्व हमारे व्यवहार एवं कार्यविधियों का प्रमाण देकर सामाजिक प्रगति में सहयोग देता है। किसी भी संस्था, संगठन पर हम तभी विश्वास करेंगे जब उस संस्था में अधिकारों के स्थान पर कर्तव्य को महत्व समझा जाये तथा यह समानता का भाव लोकतांत्रिक मूल्यों से सम्बन्धित है

सहकारी संस्थाओं की कार्यविधियों तथा लक्ष्यों के आधार पर सहकारी प्रणाली 3 तरह की है, परन्तु इनके सिद्धान्त मुख्यतः समान होते है।

(1) रोशडेल प्रणाली:- यह प्रणाली उपभोक्ताओं से सम्बन्धित है, तथा इसके समर्थक नकद लेन-देन पर बल देते हैं।

(2) रैफीसेन प्रणाली:- यह प्रणाली मुख्यतः किसानों से सम्बन्धित होती है, तथा इसमें क्रेडिट संगठनों पर जोर दिया गया।

(3) शूल्ज डेनिश प्रणाली:- यह प्रणाली व्यापारियों से सम्बन्धित होती है तथा इसमें क्रेडिट संगठनों पर जोर दिया गया है।

उपरोक्त प्रणालियों के परिचालन में अनेक कठिनाइयां आयीं पर इनका दार्शनिक आधार एक ही है। सदस्यों के पदों, अधिकारों पर नैतिक चरित्र का महत्व तथा कार्यविधियों में सिद्धान्त का महत्व अधिक रहा। उपभोक्ताओं को महत्व देने के कारण पूरे विश्व में जिन सिद्धान्तों का प्रचलन व स्वीकृति अधिक है, वे रोशडेल सिद्धान्त ही हैं। ये हैं-

प्रजातांत्रिक संरक्षण एवं नियंत्रण, नकद व्यापार, राजनीतिक और धार्मिक तटस्थता, उदार सदस्यता, संरक्षण लाभांश पूंजी पर सीमित ब्याज, शिक्षा का उत्थान, समानता पर आधारित संरचना।[4] सहकारिता आन्दोलन को परिष्कृत व वैज्ञानिक तथ्यों से संयुक्त करने हेतु इसके प्रसार तथा तकनीक में नये प्रयोग किये गये। जिससे सहकारिता क्षेत्र में नई सुविधाजनक विधियाँ आई। इसी प्रयास के क्रम में सन् 1937 ई. में "इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स" ने एक समिति निर्मित की जिसने रोशडेल सिद्धान्तों को आवश्यकतानुसार दो भागों में विभाजित किया-(1) आवश्यक सिद्धान्त, (2) कम आवश्यक सिद्धान्त

(1) **आवश्यक सिद्धान्त:** प्रजातांत्रिक प्रबंधन, पूंजी पर सीमित ब्याज, उदार सदस्यता, संरक्षण लाभांश।

(2) **कम आवश्यक सिद्धान्त:** निष्पक्ष राजनैतिक एवं धार्मिक व्यवहार, रोशडेल प्रणाली के आधार पर नकद व्यापार, एवं सहकारिता सम्बन्धी विषयों की शिक्षा। उपरोक्त वर्गीकरण सहकारिता के सिद्धान्तों को व्यवहार में परिवर्तित करने में सफल नहीं रहा जिसके कारण सहकारिता के नेताओं ने इस वर्गीकरण का विरोध किया। ये विरोधी प्रवृत्ति समय-समय पर उभरकर सामने आती रही जिसके समन्वय हेतु सहकारिता के सिद्धान्तों में परिवर्तन किये गये। परिवर्तन की स्वभाविकता तथा परस्पर विरोधी प्रवृत्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि "इन्टरनेशनल कोआपरेटिव एलायन्स" समिति की रिपोर्ट समयानुकूल नहीं है तथा इसमें सहकारिता के कार्यो को निरन्तर विकसित करने की सत्यता नहीं है

सहकारिता की समीक्षा:

सामान्यतया सहकारिता का अर्थ एक तरह से रहना, सोचना एवं कार्य करना है, जिसमें विकास की भावना निहित हो सहकारिता संगठन स्वैच्छिक होता है। यह निःस्वार्थ भाव से "एक सबके लिये तथा सब एक के लिये" के सिद्धान्त पर आधारित होता है। मैकलागन समिति ने सहकारिता की परिभाषा करते हुए कहा है, "समाज से विलग शक्तिहीन व्यक्ति अन्य लोगों से संयुक्त होकर नैतिकता को विकसित करता है तथा आपसी सहयोग प्राप्त कर सम्पन्न लोगों की भांति लाभ उठाता है व अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास करता है।"

हमारे यहां प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था का आधार सहकारिता ही थी, संयुक्त परिवार प्रणाली भी सहकारिता का ही एक पूर्ण रूप थी। पंचायतों व चरवाहों के संघ भी इसी के द्योतक थे। दक्षिण भारत में 'चिटफंड' और 'निधि प्रथा' के मूल में भी यही बात थी।

आधुनिक सहकारिता के जनक राबर्ट ओवेन ने सहकारिता को व्यवहारिक रूप दिया उनके अनुसार सहकारिता केवल हमारी आर्थिक संगठन ही नहीं होनी चाहिए अपितु हमारी जीवन शैली होनी चाहिए।[3] सहकारिता के स्वयं के मूल सिद्धान्त है। इनमें प्रथम है व्यापक। सहकारिता में बिना दबाव प्रवेश सुलभ है। इसी कारण मर्सर ने इसे मानव द्वारा आविष्कार किया हुआ महानतम सिद्धान्त माना है। इसका द्वितीय सिद्धान्त है प्रजातांत्रिक नियंत्रण अर्थात समिति के सदस्य अपना प्रशासन स्वयं करें यह उनसे अपेक्षा की जाती है। सहकारी संस्थाओं पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण के मूल्यांकन का आधार है समिति का संविधान एवं सदस्यों को समान मताधिकार। इसका तीसरा सिद्धान्त है स्वावलंबन एवं पारस्परिक सहायता। सामूहिक रूप से किये गये इस कार्य से होने वाले लाभ को सभी सदस्यों को प्रदान किया जाता है। सहकारिता का चैथा सिद्धान्त राजनीतिक और धार्मिक तटस्थता है। अपने स्वत्व के खतरे को छोडकर एक सहकारी समिति अन्य स्थितियों में अपने को जातीय, धार्मिक तथा राजनीतिक राजनीतिक विवादों से ऊपर रखती है। सहकारिता का पांचवां सिद्धान्त स्वाधीनता का है। कोई भी व्यक्ति इस संस्था का सदस्य बनने या न बनने को स्वतंत्र है। सहकारिता का छठा सिद्धान्त पूँजी पर सीमित व्याज तथा संरक्षण छूट है। सहकारिता के अन्य सिद्धान्तों में प्रचार सिद्धान्त, सामान्य कल्याण, व्यक्तिवाद की समाप्ति, सेवाभाव तथा चरित्र पर जोर भी है। ये सभी सिद्धान्त जब व्यवहार रूप में आते हैं, तो विकासोन्मुखी समाज का निर्माण होता है।

सहकारिता का वर्तमान स्वरूप जो भारत में हमारे सामने आया उसका मूल कारण ग्रामीण क्षेत्रों मंे व्याप्त किसानों की गरीबी थी। अत्यधिक ऋण भार से दबे कृषकों की करूणामय स्थिति 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ब्रिटिश शासन के शोषण के कारण हमारी आर्थिक व्यवस्था निम्न स्तर की हो गई। कृषि को भी प्रोत्साहित नहीं किया गया। देश का कच्चा उत्पाद भारत से ले जाया गया तथा उसे पक्के उत्पाद में बदल कर पुनः भारतीयों के हाथों बढ़े दामों में बेचा गया। प्रकृति ने भी संकट को उत्पन्न किया। दुर्भिक्ष, बाढ़ से संकट गहरा गया। इन्हीं स्थितियों में 1855 में सन्थालों ने विद्रोह किया। 1872 में इन्हीं कारणों से डेकेन रायट्स हुये।

उपरोक्त स्थिति में ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। इस वृद्धि के लिये ग्रामीण किसान, तत्कालीन समाज, भौगोलिक परिस्थितियां और सरकार सभी उत्तरदायी थे। किसान अज्ञानता व अशिक्षा, निर्धनता व शारीरिक अक्षमता, अपव्यय व ऋण मुकदमेंबाजी तथा पूर्वजों के ऋण में जकड़े हुये थे। समाज में साहूकार किसानों के शोषक तो थे ही, साथ ही भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत सूखा, बाढ़ ओले व टिड्डी दल के हमले किसानों के लिये अतिरिक्त आपदा थे।4 सरकार ने किसानों के छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों के स्वामित्व के संबंध में कुछ नहीं किया। उनके अभावों की ओर भी उनकी दृष्टि नहीं गई। ऊँची व्याज दरें भी उनकी कठिनाइयां बढ़ाती थीं। 1875 में दक्षिण में होने वाले उपद्रवों के उपरान्त गठित आयोग ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदान की गई

www.ignited.in

यू0पी0 में सहकारिता आन्दोलेलन की कठिनाइयों तथा उपलब्धियों के विषय में समीक्षा कर यह स्पष्ट हो जाता है कि यू.पी. में सहकारिता आन्दोलन की सफलतायें ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न थीं। सहकारिता की गतिविधि ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक रूप से सफल रही जो मुख्यतः समितियों के कार्यो तक ही सीमित तथा संयुक्त थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कार्यो हेतु अतिरिक्त प्रयास कम हुये। जबकि नगरीय क्षेत्रों में सदस्यों के साथ-साथ स्थानीय जनता के प्रयासों से भी सहकारी कार्यो को सफल बनाया गया। सहकारिता की उपलब्धियाँ चार प्रमुख विशेषताओं में विश्लेषित की जा सकती हैं।

(1) आर्थिक

"स्व सहायता अन्योन्याश्रित सहायता द्वारा" के सिद्धान्त ने सहकारिता कि सहायता से जनता के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया इस आर्थिक कार्य में जनता ने अल्प निवेश तथा अल्प बचत की योजनाओं के द्वारा लाभ का उपयोग कर आर्थिक प्राक्रियाओं को सफल बनाने का प्रयास किया। जिससे भारत की आर्थिक नीतियाँ सुनियोजित एवं सफल होने लगी। 1. साहूकार, महाजन जहाँ कृषकों से 37) प्रतिशत ब्याज लेते थे, वहीं सहकारी संस्थायें केवल 15 प्रतिशत इस प्रकार जनता व कृषक के आर्थिक गतिविधियों में विकासात्मक क्रान्ति आयी।

(2) सामाजिक और नैतिक

कोआपरेशन में सामाजिक और नैतिक चरित्र अन्य विशेषताओं के समान महत्वपूर्ण हैं। अधिकाधिक व्यक्तियों को सहकारिता के सिद्धान्तों से प्रेरित कर एकता में संगठित किया जाता था। इस प्रकार सदस्यों के मस्तिष्क व विचार व्यापक होकर समितियों एवं व्यक्तिगत विकास में सहायता करते थे।

(3) शैक्षिक

प्रत्येक सहकारी समिति अपने लाभ का कुछ भाग शैक्षिक कार्यो पर व्यय करती थी। जिसके द्वारा सदस्य तथा उनकी संतान लाभान्वित होते थे। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त सहकारी शिक्षा भी सदस्यों को दी गयी, जिसका मुख्य माध्यम सम्भाषण तथा प्रचार था। सहकारी समिति के सदस्यों को अन्य बाहरी व्यक्तियों की तुलना में व्यापार वाणिज्य का बेहतर ज्ञान होता था।

(4) राजनैतिक

सहकारी समितियां प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर कार्य करने वाली संस्थायें है, जिसके कारण सहकारिता से प्रशिक्षित तथा जानकार व्यक्ति अपना राजनैतिक उत्थान करता है। जैसे- ग्रामीण सामुदायिक व सहकारी संगठन गाँव के निवासियों की उन्नति की जिम्मेदारी उठाती है।

स्वतंत्रता के बाद की कांग्रेस सरकार ने सहकारिता में समाजवाद लाने का नया सफल प्रयोग किया है, जो कि सहकारिता आन्दोलन में क्रान्ति ला सकता है, विशेषकर नगरों तथा शहरों के दूर के गाँवों में सहकारिता के पूर्व की अवस्थाओं को दृष्टिगत करते हुये, यह कहा जा सकता है कि अप्रैल 1946 में यू0पी0 में कांग्रेस सरकार का बनना इस राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में निर्णायक अवस्था थी। इस कार्य में गवर्नमेण्ट ने विकेन्द्रीकरण कर विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित किया। जिससे अधिकाधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया जा सके। अप्रैल 1947 में "डेवलपमेण्ट- कोआर्डिनेशन प्लान" का निर्मित होना इसका मजबूत उदाहरण है। इसके अन्तर्गत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र बढ़ा जो प्रमुख रूप से गाँवों में अन्न, दूध, घी तथा वस्त्र उद्योग के विकास पर ही ध्यान केन्द्रित कर रही थी। इस प्रकार, प्रयासों, संलग्न ऊर्जाओं तथा जनता के धन को संरक्षित किया जा सका।

यह ध्यान देने योग्य बात है, कि यद्धपि विकासात्मक योजनाये सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी। तथापि ये योजनायें स्थानीय जनता के बगैर असफल थीं। डेवलपमेण्ट प्लान के अन्तर्गत बनाये गये डेवलपमेण्ट ब्लाक पूर्णतया प्रजातांत्रिक एवं गतिशील थे, तथा इन्हें लगातार विस्तृत किया गया जिससे वे अधिक से अधिक बहुउद्देशीय समितियों तथा गाँवों को अपने अन्तर्गत ला सके।

सहकारिता आन्दोलेलन के प्रचार

दिशा में अधिकतम कार्य भ्रमण, सभाओं तथा प्रेस द्वारा किये गये, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण निवासियों को सहकारिता के मूल तथा बेसिक सिद्धान्तों से अवगत कराने हेतु कांग्रेस वर्करों व गर्वमेण्ट की सहायता ली गयी, जिससे प्रचार पूर्ण रूप से सफल हो सके। साक्षर वर्ग हेतु प्रेस मीडिया सर्वाधिक उपयुक्त रहा, नवयुवकों तथा भविष्य हेतु सहकारिता के प्रचार में शिक्षा, प्रेस, सभा-समिति, आदि का भी सहयोग लिया गया। सहकारिता कार्यों एवं सिद्धान्तों को प्रचार की दिशा में सफलता आंशिक तौर पर ही प्राप्त हुई। निरक्षर जनता सहकारी संस्थाओं को ब्रिटिश सरकार के हितों की पूर्ति करने वाली ही समझती रहीं।

सहकारी संस्थाओं संस्थाओं की उपयोगिता

भारत को निरन्तर विदेशी दासताओं से आबद्ध होना पड़ा जिसके कारण हमारी आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, राजनैतिक दशा तथा सांस्कृतिक दशा जर्जर होती चली गयी। यहां शासक तो निरन्तर

धनी होते गये परन्तु प्रजा की समस्याओं की तरफ शासकों ने ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप भारत की जनता निरन्तर आर्थिक दृष्टि से शोषित होकर दुर्बल होती चली गयी। इस कार्य में ब्रिटिश सरकार की ड्रेन थ्योरी (धन निकासी सिद्धान्त) ने और भी भीषणाघात भारत पर किया जिसके कारण स्वतंत्रता के समय हमें एक भविष्य के भारत को देखना था जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टि से सबल हो साथ ही साथ हमें ऋणात्मक संसाधनों से शुरूआत करनी थी क्योंकि विदेशी दासताओं के कारण भारत पूर्णतया मृत प्राय हो चुका था। इस दृष्टि से सहकारी कार्य ही एक मात्र ऐसे कार्य हैं जो आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक सबलता लाने में सक्षम हो सकते है। इस हेतु सहकारिता का अत्यधिक महत्व है।

एकांगी आन्दोलन के रूप में:-

देश में सहकारिता आन्दोलन क्रेडिट सहकारिता के तौर पर प्रारम्भ हुआ क्योंकि किसान पर होने वाले शोषण नीति को मुक्ति देने के लिए सहकारिता ही एक मात्र पद्धति थी। इस प्रकार गैर क्रेडिट सहकारिता की प्रगति मंद गति से हुई। कृषि क्रेडिट समितियां निरन्तर बढ़ती रही तथा साथ ही साथ किसानों को उचित लाभ देती रहीं। क्योंकि क्रेडिट समितियां निवेश को भी उपयोगी बनाती थी। क्रेडिट समितियों की बजह से किसान जमींदारों, साहूकारों इत्यादि के चक्रीय ऋण से मुक्ति पा सकने की स्थिति में आ सका सहकारी संगठन की एक रूपता के रूप में यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि भारत में भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अनेक विभिन्नतायें पायी जाती हैं पर सहकारी संगठन में प्रान्तों के हर स्थान पर एकरूपता थी। प्रत्येक प्रान्त के [202] इस आन्दोलन का नेतृत्व तीन अधिकारियों के अन्तर्गत था इनमें से सर्वोच्च रजिस्ट्रार होता था जो सहकारिता आन्दोलन को नियंत्रित व निर्देशित करता था। दूसरा प्रोविंसियल बैंक जो आर्थिक मामलों की देखभाल करता था तथा तीसरा प्रोविन्सियल सहकारिता संस्थान जो तत्सम्बन्धी शिक्षा और प्रचार का कार्य देखता था।

सहकारिता शासन द्वारा प्रेरित आन्दोलन:

सहकारिता आन्दोलन जनता की प्रेरणा से नहीं अपितु शासक द्वारा निर्धारित हुई है। ग्रामीण ऋण की समस्या से मुक्ति पाने हेतु सरकार ने यह प्रयास किये हैं और आज भी जनता के स्वप्रयास से यह आन्दोलन विकसित नहीं हो रहा है बल्कि इस कार्य में सरकार से अपेक्षा सर्वाधिक है। इसलिए युवा व अन्य व्यक्ति कानूनी रूप से नियमों के अन्तर्गत सरकार के इस कार्य में सहयोग दें तो निश्चित ही आर्थिक प्रगति हो सकती है।31 अगर यह विवेचित किया जाये कि जन प्रेरणा, शासकीय प्रेरणा की तुलना में कौन श्रेष्ठ है तो यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है परन्तु भारत की दृष्टि से शासकीय प्रेरणा जनता के सहयोग से ही सिद्ध हो सकती है।

उपसंहार

सहकारिता स्वसहायता परस्पर अन्योन्याश्रित सहायता का मार्ग प्रशस्त करती है। जिसमें एकता व संगठन की शक्ति तो है ही साथ ही वैश्विक स्तर पर परस्पर विकास करने की सबलता है जिससे सामाजिक समरसता प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। परन्तु यह सूक्ष्म पक्ष है। उत्तर प्रदेश में स्थूल पक्ष के रूप में कहा जा सकता है किविभिन्न प्रान्तों में सहकारिता कानूनों में समानता का अभाव था, 1935 के बिहार व उड़ीसा एक्ट व 1940 के वेस्ट बंगाल में सहकारिता को परिभाषित करके यह कहा गया कि “सहकारिता का उद्देश्य लोगों के सामान्य हित को विकसित करना है जिसके आधार में होंगे सहकारिता सिद्धान्त परन्तु केरल और महाराष्ट्र के एक्ट में सामान्य हित के स्थान पर आर्थिक हित शब्द का प्रयोग किया गया, दोनों में अन्तर क्रमशः नैतिकता व भौतिकता का है, जो एक दीर्घ अन्तर उत्पन्न करता है। सामान्य जनता का सहकारिता के प्रति अरूचि रही, क्योकिः क्रेडिट संस्थाओं को केवल क्रेडिट आधार पर नहीं पृथक किया जा सकता बल्कि ऋण की वापसी तथा निवेश भी महत्व रखता है परन्तु सहकारी क्रेडिट संस्थायें केवल ऋण देने वाली संस्थायें बन कर रह गयी जब भी उन पर सख्ती की गयी तो जनता ने अपना विश्वास खो दिया जिससे सहकारी समितियों और जनता के बीच दूरियां बढ़ती चली गया सहकारिता के सिद्धान्तों की उपेक्षा कर तथा ऋण दाताओं की आवश्यकताओं का आंकलन व अनुमान किये बिना अधिकतम ऋण प्रदान किये गये इसका भी निरीक्षण नहीं किया गया कि ऋण प्राप्तकर्ता पात्र है अथवा नहीं। इसी कारण ऋण प्राप्तकर्ताओं ने ऋण वापसी में बहुत रूचि नहीं ली। भविष्य में माफ कर सकती है। ऋण माफ न होने से अतिदेयों की राशि में वृद्धि हुई जिससे अनेक प्रकार की समस्यायें उत्पन्न हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सहकारिता के नैतिक सिद्धान्तों की उपेक्षा की गयी। सहकारी आन्दोलन पर शासकीय नीति प्रभावी रही, यूरोपीय देशों के विपरीत भारत में सहकारिता राज्य के नियंत्रण में रखा गया। भारत में सहकारिता आन्दोलन से यह ज्ञात होता है कि यहां पर सरकारी नीतियों का सरकार द्वारा निर्धारण किया जाना दोषपूर्ण था क्योंकि सरकार एक्ट के अन्तर्गत बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में अपने व्यक्ति को नामित भी कर सकती थी जिससे सहकारी कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता था।

www.ignited.in

सन्दर्भ सूची

1. हजेला, टी.एन. कोआपरेशन प्रिंसपल्स, प्राब्लम्स ऐण्ड प्रैक्टिस, छठा संस्करण, नई दिल्ली

2. काल्बर्ट, एच. द लॉ ऐण्ड प्रिंसपल्स आफ कोआपरेशन, कलकत्ता

3. सक्सेना, के.के. इवोल्युशन आफ कोआपरेटिव थाट दिल्ली

4. हलेजा, टी.एन. कोआपरेशन

5. कोआपरेटिव डेवलपमेण्ट इन द यूनाइटेड प्रोविन्सेज, कोआपरेटिव डिपार्टमेट यूनाइटेड प्रोविन्सेज, द्वारा प्रकाशित लखनऊ

6. कुलकर्णी, के.आर.- थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस आफ कोआपरेशन इन इण्डिया एण्ड एब्राड,

7. ममोरिया, सी.बी. ऐण्ड सक्सेना, आर0डी0 कोआपरेशन इन इण्डिया इलाहाबाद,

8. तालमकी, एस.एस.- कोआपरेशन ऐट होम एण्ड एब्राड

9. गार्डन, एल. स्मिथ ऐण्ड ओब्रिया कोआपरेशन इन मेनी लैण्डस, मैनचेस्टर

10. स्ट्रिकलैण्ड, सी.एफ. - कोआपरेशन इन इण्डिया,

11. मैकलागन कमेटी रिपोर्ट आन कोआपरेशन इन इण्डिया

Corresponding Author

Shakil Ahmad*

Department of Economics, New Colony, Khetari Muhalla, Arrah, Bihar